

एकलपीठ सिविल विविध अपील नम्बर 4227/2009

24.07.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री प्रताप सिंह आर्य, अधिवक्ता अपीलार्थी

नोटिस पेश करने में हुई देरी माफ की जाती है। प्रत्यर्थी को अब नोटिस जारी किये जावे।

(न्या0 मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.

B.L. Jain, PS